

**HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

Notification

The 19th January, 1982

No. 834-10 DP-82 - In exercise of the powers conferred by sub section (1) (a) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restrictions of Unregulated Development Act, 1963, and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the Additional Controlled Area at Hissar, as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

ANNEXURE

Schedule of boundaries of the Additional Controlled Area at Hissar to be read with the Drawing No. DTP(H)-1541/1981, dated the 6th December, 1981.

- EAST:** Starting from point 'D' of the existing controlled area boundary; thence towards south-west along the eastern boundary of village Satrod Kalan and Ladwa upto point 'E' which is the south-eastern corner of rectangle no. 56 of village Ladwa.
- SOUTH:** Thence towards west along the southern boundary of rectangle nos. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 and 64 upto the south-western corner of rectangle No. 64 of village Ladwa. Thence towards south along the eastern boundary rectangle No.79, 97, 113, 132, and upto the south- eastern corner of rectangle No. 150 of village Ladwa. Thence towards west along the southern boundary of rectangle Nos. 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143 and 142 of village Ladwa upto the point 'F' where it meets the boundary of village Mungali Mohabat. Thence towards north - west along the northern boundary of village Mungali Mohabat upto the point 'G' where it meets the north- eastern corner of rectangle No. 35 of village Mungali Aqlan. Thence towards west along the northern boundary of rectangle no. 35 to 44 of village Mungali Aqlan upto the point 'H' where it meets the southern boundary of village Kaimari. Thence along the northern boundary of village Mungali Aqlan, Mungali Jhara upto the point 'J' which is the trijunction of revenue boundaries of village Kaimari, Mungali Jhara and Dewan. Thence towards north along the western boundary of village Kaimari upto point 'K' which is the south-western corner of rectangle No. 188 of village Kaimari. Thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 34, 33, 32, 31, 30, 29 and 28 of village Dewan upto point 'L' where it meets the eastern boundary of village Muklan which is also the south western corner of rectangle No.28 of village Dewan.
- WEST:** Thence towards north along the western boundary of village Dewan and Tokas upto the point 'B' of the existing Controlled Area.
- NORTH:** Thence towards east along the existing controlled area boundary upto the point 'D' of the existing controlled area i.e. point of start.

A.K.SINHA

Special Secretary to Govt. Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 19 जनवरी, 1982

संख्या 834-10डी0पी0-82.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाए गए अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र, हिसार को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुबद्ध

अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र, हिसार की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0(एच)1541/81, दिनांक 6 दिसम्बर, 1981 के साथ पढ़ा जाए।

पूर्व : वर्तमान नियंत्रित क्षेत्र सीमा के बिन्दु 'डी' से शुरू करते हुए; तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर गांव सातरोड कला तथा लाडवा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जोकि गांव लाडवा की आयत संख्या 56 का दक्षिण-पूर्वी कोना हैं।

दक्षिण : तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव लाडवा की आयत संख्या 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 तथा 64 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव लाडवा की आयत संख्या 64 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर आयत संख्या 79, 97, 113, 132 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा गांव लाडवा की आयत संख्या 150 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव लाडवा की आयत संख्या 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143 तथा 142 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एफ' तक जहां यह गांव मंगाली मोहबत की सीमा से मिलती है। तत्पश्चात् उत्तर पश्चिम की ओर गांव मंगाली मोहबत की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जी' तक जहां यह गांव मंगाली अकलान की आयत संख्या 35 के उत्तर पूर्वी कोने से मिलती है। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव मंगाली अकलान की आयत संख्या 35 से 44 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एच' तक जहां यह गांव कैमरी की दक्षिणी सीमा से मिलती है। तत्पश्चात् गांव मंगाली अकलान, गांव मंगाली झारा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जे' तक जोकि गांव कैमरी, गांव मंगाली झारा तथा दीवान राजस्व सीमा का त्रिसंयोजन हैं। तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव कैमरी की पश्चिम सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'के' तक जो गांव कैमरी की आयत संख्या 188 का दक्षिण-पश्चिम कोना हैं। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव दीवान की आयत संख्या 34, 33, 32, 31, 30, 29 तथा 28 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एल' तक जहां यह गांव मुकलान की पूर्वी सीमा से मिलती है जो कि गांव दीवान की आयत संख्या 28 का दक्षिण-पश्चिम कोना भी हैं।

पश्चिम : तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव दीवान तथा टोकस की पश्चिमी सीमा के साथ साथ वर्तमान नियंत्रित क्षेत्र के बिन्दु 'बी' 3 तक।

उत्तर : तत्पश्चात् पूर्व की ओर वर्तमान नियंत्रित क्षेत्र सीमा के साथ-साथ वर्तमान नियंत्रित क्षेत्र के बिन्दु 'डी' तक अर्थात् प्रारम्भ के बिन्दु तक।

ए. के. सिन्हा,

विशेष सचिव हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।